न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
85 / अपील / 2018	13.08.2018	30.08.2019

रणवीर आ. नेकीराम जाति रोड मराठा निवासी बडगांव हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06.07.2018
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री शम्भूलाल, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1357 रकबा 08 बीघा, किस्म सिवाचयक वाके ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये बेदखली, पैनाल्टी, 1000/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तु स्थिति, विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट एक गरीब कृषक है जिसके पास आबादी भूमि में कोई मकान

नहीं है। अपीलान्ट अपने पिता के जीवनकाल से ही 60–70 वर्षो से काश्त कर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलान्ट उस भूमि को नियमन कराने का अधिकार रखता है। अपीलान्ट का कोई नया अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा ना ही मौके की जॉच की गई। अपीलान्ट का कोई नया अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट गरीब भूमिहीन कृषक है जिनके पास आबादी में कोई मकान नहीं है। पूर्वजों के समय से लगभग 60–70 वर्षो से मकान उक्त विवादित भूमि पर बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है एवं काश्त कर रहे है। जिनका मकान बनाकर रहना मौलिक अधिकार है।.

अपीलान्ट ने खसरा नं. 1357 पर जानवर बांधने व चारा रखने के लिये बाडा एवं मकान बना रखा है। जो लगभग 60–70 वर्ष पुराना है। राज्य सरकार ने चरागाह भूमि पर 1970 से पूर्व के कब्जो को नियमन करने के आदेश जारी किये हुये है तथा राज्य सरकार ने परिपत्र क्रमांक 9(6)राज–6/2000 दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूची में समस्त ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक एवं अन्य गैर मू. राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह एवं जानवरों के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश दिये गये थे जो अब राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया अर्थात दिनांक 01.01.2000 के पूर्व के अतिक्रमण की भूमि को नियमन करवाने के अधिकारी है। इसके साथ ही सिवायचक भूमि पर कृषि हेतु दिनांक 01.01.2000 तक किये गये अतिक्रमण को नियमन करने के प्रावधान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करने के बजाय नियमन करना चाहिये था। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है लेकिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत् कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिये है, मात्र पटवारी की रिपोर्ट व बयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के साक्ष्य व मौके की जॉच नहीं की गई है। अपीलान्ट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर कब्जे की जॉच करवाई जाकर अपीलान्ट की अतिक्रमित भूमि नियमन करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट विवादित भूमि राजकीय सिवायचक गै.मू.बर्डा है। जिस पर अपीलान्ट ने नाजायज अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के बयान लिये है। अपीलान्ट को

गत वर्ष भी बेदखल किया गया था जिसका विवरण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व पटवारी बयान, रिपोर्ट में दर्ज है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। वह सिवायचक गै0मू.बर्डा है। अपीलान्ट का कथन है कि अतिक्रमी को मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल किये बिना पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो अनुचित है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अंकित है कि अपीलान्ट को गत वर्ष भी मिसल नम्बर 550/2017 दिनांक 16.03.2017 से बेदखल किया गया था। जिसका अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में अंकित है तथा पटवारी बयान व रिपोर्ट में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, बयान पटवारी व रिपोर्ट से अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि राज्य सरकार ने परिपत्र क्रमांक 9(6)राज–6/2000 दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूची में समस्त ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक एवं अन्य गैर मू. राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह एवं जानवरों के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश दिये गये थे जो अब राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया अर्थात दिनांक 01.01.2000 के पूर्व के अतिक्रमण की भूमि को नियमन करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार अतिक्रमित भूमि पर अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा काश्त मानकर आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाने हेतु नियमन किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा काश्त होने बाबत् कोई साक्ष्य व दस्तावेज अपील के साथ अपीलान्ट ने पेश नहीं किये है। जिससे अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक गै0मू0बर्डा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी बेदखल किया गया था। जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि नियमन की श्रेणी में नहीं आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बेदखली, शास्ति एवं सिविल

A6
4

कारावास की सजा का उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)